संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/2020/2276 भोपाल, दिनांक 2 /12/2020

–:: **आदेश** ::–

मॉनिट ए+ प्रकरण के संदर्भ में संचालनालय के आदेश क./01 जी/विज्ञप्त/सेल–5/2020/1388 भोपाल, 19.08.2020 डॉ. कापसिंह कटारा चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रायपुरिया,जिला –झाबुआ का स्थानांतरण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भाण्डेर जिला–दतिया किया गया था ।

उक्त आदेश के विरूद्ध डॉ. कापसिंह कटारा द्वारा मान. न्यायालय इंदौर में याचिका कमांक डब्ल्यू.पी.12828/2020 दर्ज की गई थी, जिसमें मान. न्यायायल द्वारा निम्नानुसार निर्णय दिया है– In view of the aforesaid statement made by learned counsel for the parties, this writ petition itself is disposed of with a direction to the respondent No.2 to consider and **decide the representation (Annexure-P/4)** of the petitioner within a period of one month from the date of receipt of certified copy of this order. **It is made clear that till then, the operation of the order dated 19/08/2020 shall remain stayed and petitioner is permitted to work at the present place of posting. Petition stands disposed of finally.**

मान. न्यायालय निर्णय के पालन में डॉ. कापसिंह कटारा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर लेख किया है कि "वह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रायपुरिया में सन 2014 से पदस्थ है, कोविड–19 महामारी में टीमवर्क से बीमारी में पीड़ित व्यक्तियों के इलाज में यथासंभव सहयोग किया जा रहा है। मेरे विरूद्ध आज तक वरिष्ठ कार्यालय को कोई शिकायत नहीं हुई है । किन्तु स्थानांतरण प्राथ. स्वास्थ्य केन्द्र रायपुरिया जिला –झाबुआ से सामु.स्वास्थ्य केन्द्र भाण्डेर जिला–दतिया कर दिया है जो 850 कि.मी. है । पत्नी शासकीय माध्यमिक शिक्षक के पद पर झाबुआ में कार्यरत है, जिससे पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है । इसलिए स्थानांतरण निरस्त किया जावे" निवेदन किया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला–झाबुआ द्वारा डॉ. कटारा को आज दिनांक तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है ।

मॉनिट ए+ प्रकरण में प्राप्त प्रस्ताव अनुसार डॉ. कटारा को झाबुआ से अन्यत्र स्थानांतरण किया जाना प्रस्तावित था । अतः याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए डॉ. कापसिंह कटारा का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भाण्डेर जिला दतिया किये गये स्थानांतरण में संशोधन करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भाण्डेर जिला दतिया के स्थान पर झाबुआ से निकटस्थ जिला अलीराजपुर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला–अलिराजपुर के विकल्प पर पदस्थ किया जाता है।

(सपना एम.लोवंशी) 28/11/20
अपर संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
म0प्र0

निरंतर...2/

पृ0क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/2020/2277 भोपाल, दिनांक 2/12/2020

प्रतिलिपः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 विशेष सहायक मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म0प्र0।
02. अपर प्रमुख सचिव म0प्र0शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल,म0प्र0।
03. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश,म0प्र ।
04. अपर संचालक (प्रशासन)/विज्ञप्त स्थानीय कार्यालय ।
05. अपर संचालक (लीगल) की ओर मान. न्यायालय याचिका क.12828/2020 के संदर्भ में ।
05. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग म0प्र0।
06. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला– झाबुआ/दतिया/अलीराजपुर म0प्र0।
07. जिला कोषालय अधिकारी जिला– झाबुआ/दतिया/अलीराजपुर म0प्र0।
08. संबंधित चिकित्सक की ओर पालनार्थ द्वारा– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला– झाबुआ ।
09. प्रभारी एम0आई0एस0,स्थानीय कार्यालय, भोपाल म0प्र0।

28/11/2020

अपर संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म0प्र0